राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 52/2019 अपील

श्री नानू पिता किशना, भील बनाम
निवासी–बरण, तहसील–बनेड़ा,
जिला–भीलवाड़ा

1. खाना पिता घीसू भील
2. दुर्गा पुत्री घीसू भील
3. मैना पुत्री घीसू भील
4. फूमा पिता भैरू (भैरिया) भील
   रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 निवासीयान– बरण,
5. श्यामा पिता भैरू भील
6. महेन्द्र पिता भैरू भील
7. काली पिता भैरू भील
8. बाली पिता भैरू भील
   रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 निवासीयान– नानोदिया,
9. शंकर पिता बालू भील
10. माधव पिता बालू भील
11. भागचंद पिता बालू भील
12. नाराणी पुत्री बालू भील
13. सीता पुत्री बालू भील
    रेस्पोडेंट संख्या 9 से 13 निवासीयान– बरण,
14. नारायण पिता परसा भील निवासी – एराड़ीखेड़ा (बरण) तहसील – बनेड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार – बनेड़ा दिनांक 17.05.2005 नामान्तरकरण संख्या 659

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 19.12.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 659 दिनांक 17.05.2005 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व उसके भाई भैरू भील के नाम पर मौजा बरण में आराजी संख्या 1100, 1462 से 1465, 1580 से 1583 कुल किता 09 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। इन आराजियात का कभी भी किसी भी न्यायालय से कोई विभाजन नहीं हुआ, ना ही कभी अपीलार्थी ने विभाजन बाबत कोई सहमति दी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर भूमाफियाओं ने प्रत्यर्थी संख्या 14 के नाम पर भूमि का विक्रय करवाकर नक्शे में बटा नम्बर डलवा दिये जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 659 में यह लिखकर विभाजन कर दिया कि पक्षकारान सहमत है,

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 659 में यह लिखकर विभाजन कर दिया कि पक्षकारान सहमत है, लेकिन न तो कोई सहमति पत्र है न ही कोई मिसल अधिनस्थ न्यायालय ने कायम की है। अपीलार्थी ने कभी भी विवादित विभाजन बाबत् सहमति नहीं थी। अगर सहमति देता तो अपनी भूमि में जाने का रास्ता तो नक्शे में होता। इस तरह से विभाजन कर दिया कि अपीलार्थी की भूमि पर अपीलार्थी जा ही नहीं सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी संख्या 1580 1581 व 1582 का विभाजन जो पहले मौके पर पक्षकारान ने उत्तर से दक्षिण में कर रखा था तथा बाप–दादाओं के समय से ही इसी तरह काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहे थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से नक्शे में लाल स्याही से पूर्व से पश्चिम में लाईन खींचकर अपीलार्थी को उत्तर की तरफ कर दिया तथा रास्ते के सहारे प्रत्यर्थी संख्या 1 को रखा गया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार–बनेड़ा, द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 659 दिनांकित 17.05.2005 निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन आराजियात को पूर्वानुसार किया जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता को अपील मेमों में अंकित तथ्य अनुसार पूर्व में आराजी संख्या 1580, 1581 व 1582 का विभाजन जो पहले मौके पर पक्षकारान् ने उत्तर से दक्षिण में कर रखा था, उस बंटवारा आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया था, किन्तु अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बंटवारा आदेश की प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की हैं। अतः प्रकरण में पूर्व एवं बाद के बंटवारा आदेश की प्रति के अभाव में गुणावगुण पर निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया जाकर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नही किया गया हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा